सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

78

अठहत्तरवां प्रतिवेदन

[भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलम्ब]

(04.04.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अप्रैल, 2022/ चैत्र **, 1944(**शक**)**

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना (2021-22) (तीन)

प्राक्कथन (पांच)

प्रतिवेदन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ,के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलम्ब।

परिशिष्ट

परिशिष्ट -एक **भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थानतक के 21-2020 से 17-2016 लखनऊ के वर्ष, वार आंवटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण-वर्ष**

परिशिष्ट -दो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ,के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।

परिशिष्ट -तीन **संस्थान के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने और प्रत्येक चरण में मंत्रालय की ओर से लिए गए समय के संबंध में सूचना**

परिशिष्ट -चार 2015-2016 से 2019-2020 तक के वर्षों के लिए आईआईआईटी, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में जानकारी और मंत्रालय द्वारा प्रत्येक चरण में लिया गया समय ।

परिशिष्ट -पांच समिति की दिनांक 22 जुलाई, 2021 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण।

परिशिष्ट -छह समिति की दिनांक 22 मार्च, 2022 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2021-22)

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. चौधरी मोहन जटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती बी. विशाला	-	निदेशक
3.	श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति का यह अठहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976; 12 मई, 1976 और 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए क्रमश: पहले प्रतिवेदन और दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा दूसरे प्रतिवेदन (6ठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिश के संदर्भ में संगठन/कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित है।

3. समिति ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार किया तथा समिति की 22 जुलाई,2021 को हुई बैठक में शिक्षा मंत्रालय(उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 22.3.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, शिक्षा मंत्रालय(उच्चतर शिक्षा विभाग) और भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान,लखनऊ के अधिकारियों को सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने और समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है।

6. समिति को महत्वपर्ण सचिवालयी सहायता प्रदान करने के लिए समिति से जुड़े लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों की सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

(रितेश पाण्डेय)
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

28 मार्च,2022
7 चैत्र, 1944(शक)

<u>प्रतिवेदन</u>

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईआईआईटी), लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ (आईआईआईटी लखनऊ) **2015** में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित **20** आईआईआईटी में से एक है। आईआईआईटी लखनऊ, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, ने सूचना प्रौद्योगिकी में शैक्षणिक सत्र **2015-16** में 50 छात्रों के साथ बी.टेक के अपने पहले बैच को शुरू किया। **586** छात्रों के वर्तमान नामांकन के साथ, संस्थान मुख्य रूप से कंप्यूटर विज्ञान, आईटी और प्रबंधन के क्षेत्रों में बीटेक, पीजी डिप्लोमा, एमटेक, एमबीए और पीएच.डी जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है । प्रवेश, जेईई (मेन्स), एमटेक/ एमआर्क/ एमप्लान (सीसीएमटी) और संस्थान प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की केंद्रीय काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जाता है।

2. अधिनियम, नियम, या विनियमन के तहत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब पर प्रश्न पूछने पर, शिक्षा मंत्रलाय (उच्च शिक्षा विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया **;-**

> "भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, **2017** की धारा **37**, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है, के तहत आईआईआईटी लखनऊ के कागजात सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं: -
>
> 37 (1) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निर्देशन में तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य मामलों के अलावा, संस्थान द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम और अनुसंधान परिणाम आधारित मूल्यांकन और ऐसे संस्थान में की जा रही शोध शामिल होगी और इसे ऐसी तारीख को या उससे पहले बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाता है और बोर्ड अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा ।
>
> (2) बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा और संस्थान की वेबसाइट पर रखा जाएगा ।
>
> (3) बोर्ड प्रत्येक वर्ष के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के बाद या उससे पहले पिछले वर्ष में संस्थान के कामकाज की अंग्रेजी और हिंदी में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जारी करेगा, और इसकी एक प्रति उसी के साथ, पिछले वर्ष के लिए आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं का एक लेखापरीक्षित विवरण केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को उस निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, और इसे संसद के प्रत्येक सदन और संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जा सकता है ।"

3. समिति द्वारा उक्त अधिनियम**,** नियम**,** या विनियमन के तहत दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के प्रावधान और समय के बारे में पुछने पर**,** मंत्रलाय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया **;-**

> **"**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम**, 2017** की धारा **37(3)** के अनुसार**,** लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ महीने की समाप्ति से पहले जारी की जाएगी ।**"**

4. समिति द्वारा विगत पाँच वर्षों के दौरान आईआईआईटी लखनऊ को भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के वर्षवार ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर**,** मंत्रलाय ने यह जानकारी दी**,** जोकि **<u>अनुबंध एक</u>** पर विवरण में दी गई है।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन, दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और दूसरे प्रतिवेदन (6ठी लोक सभा), जिनको क्रमशः 08 मार्च, 1976, 12 मई, 1976 और 22 दिसंबर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किए गए थे, में अंतर्विष्ट सिफारिश के अनुसार, संगठनों/कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक होता है। इस आवश्यकता के अनुपालन के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखापरीक्षा हेतु समय-सीमा निर्धारित की जाए। समिति ने महसूस किया कि वार्षिक लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने हेतु सामान्यतया 03 माह की अवधि पर्याप्त होगी; अगले 6 माह लेखाओं की लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन के मुद्रण और इसे सभा पटल पर रखने के लिए सरकार को भेजने के लिए दिए जाएं। यदि किसी कारणवश, संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखे 09 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाते हैं, तो संबंधित मंत्रालय उपरोक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अथवा जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखे ।

6 सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की सन्वीक्षा यह उल्लिखित करती है कि वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 के आईआईआईटी लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को 13 महीने से 37 महीने तक के विलंब के साथ सभा पटल पर रखा गया । वर्ष 2019-20 और 2020-2021 के आईआईआईटी लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) और आईआईआईटी लखनऊ वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर अपने दस्तावेजों को सभा पर रखने की संसदीय अवश्कता को पूरा करने में विफल रहे। आईआईआईटी लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओ को सभा पटल पर रखने तिथि और विलंब अवधि **<u>अनुबंध-दो</u>** में दी गई हैं।

7. वर्ष 2015-16 से 20**20**-2**1** तक आईआईआईटी लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में मंत्रलाय द्वारा प्रस्तुत कालानुक्रम**, <u>अनुबंध तीन</u>** में दिया गया है।

8. समिति द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक आईआईआईटी लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों के बारे में पूछने पर**,** मंत्रलाय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया **;-**

> "प्रारंभ में संस्थान आईआईआईटी इलाहाबाद के मेंटरशिप के अंतर्गत था। आईआईआईटी (पीपी) अधिनियम, 2017 (2017 की संख्या 23) 09 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड-1 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद नियमित निदेशक और अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया शुरु की गई। नियमित निदेशक के 28.02.2019 से शामिल होने के परिणामस्वरूप **2015-16, 2016-17, 2017-18** की वार्षिक रिपोर्टों का अनुवाद किया गया और छपाई के बाद संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए **23.07.2019** को शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया। वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के वार्षिक लेखे और वार्षिक रिपोर्ट को 3.2.2020 को लोकसभा और 05.3.2020 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।
>
> **2019** में**,** संस्थान को इलाहाबाद से लखनऊ के परिसर (निर्माणाधीन) में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष **2018-19** के लिए वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखाओं को **15.01.2020** को आयोजित शासी निकाय की **10**वीं बैठक में रखा गया और अनुवाद और मुद्रण (कोविड **-19** के कारण मुद्रण में देरी) के बाद**,** संस्थान ने इसे अक्टूबर 2020 में शिक्षा मंत्रालय को भेजा। वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट 17.03.2021 को राज्य सभा में और 22.03.2021 को लोकसभा में रखी गई। वर्ष **2019-20** की वार्षिक रिपोर्ट अगले शासी निकाय बैठक में रखी जाएगी और बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से संसद के समक्ष रखा जाएगा"

9. क्या दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब यह दर्शाता है कि संसद के समक्ष दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने को उचित महत्व नहीं दिया गया और चीजों को हल्के तरीके से लिया गया**,** इस संबंध में पूछे जाने पर**,** मंत्रलाय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया **;-**

> "आईआईआईटी (पीपी) अधिनियम, 2017 (2017 की संख्या 23) 9 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड-1 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद नियमित निदेशक और अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया शुरु की गई। नियमित निदेशक ने 28.2.2019 को संस्थान में कार्यभार ग्रहण किया। संस्थान के सुचारु कार्यकलाप के लिए सचिव, उच्चतर शिक्षा को माननीय विजिटर अर्थात, भारत के माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन से 04.05.2020 से संस्थान को बोर्ड अध्यक्ष के रुप में नामित किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण अगले वर्ष विलम्ब हुआ।

यह प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा सभी संभव प्रयास किए गए और किसी बात को हल्के में नहीं लिया गया।"

10. क्या मंत्रलाय/संस्थान ने इन वर्षों के दौरान हुए विलंब के चरणों की पहचान की है और भविष्य में विलंब को कम करने हेतु उनके क्या विचार हैं, मंत्रलाय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया ;-

"वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्त समिति/शासी निकाय/सांविधिक लेखापरीक्षा आदि द्वारा बताए गए निर्देशों का उचित अवलोकन, विचार-विमर्श और अनुपालन शामिल है। देरी के मूल कारणों में महामारी के कारण बैठकों के आयोजन में देरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

सचिव, उच्चतर शिक्षा के स्तर पर प्रत्येक संस्थान के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट के पटल पर रखे जाने संबंधी स्थिति की निगरानी की जाती है। इस संबंध में सचिव, उच्चतर शिक्षा के दिनांक 22 मार्च, 2021 के अ.शा. पत्र सं. 33-4/2020-टीएस-III और 03 जून, 2021 के अ.शा. पत्र सं. 54-2/2021-टीएस-I में वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है और आईआईआईटी लखनऊ समेत सभी संस्थानों से इस समय-सीमा का अनुपालन करने हेतु अनुरोध किया है ताकि समय-सीमा के भीतर दस्तावेजों को दोनों सदनों के पटल पर रखा जा सके।"

11. समिति द्वारा विलंब के संबंध में यह पूछे जाने पर कि क्या उक्त वर्षों के दौरान आईआईआईटी, लखनऊ के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में कोई विलम्ब हुआ था,मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"हाँ, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में विलम्ब का कारण वित्त समिति/शासी निकाय से वार्षिक लेखे प्राप्त करने में विलम्ब हो सकता है।"

12. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय द्वारा लेखाओं के लेखा परीक्षण के मुद्दे और अंतत: लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समय पर प्राप्ति को कैसे निपटाया गया, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"संस्थान को समय-समय पर पत्र दिनांक 4/6/2019, 24/6/2019, 2/8/2019, 9/1/2020, 1/3/2020, 8/1/2021, 22/03/2021, 7/5/2021, 3/6/2021 और 14/7/2021 द्वारा वार्षिक लेखा और वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया गया।"

13. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या संस्थान को दस्तावेजों के हिंदी में अनुवाद और उसके बाद उनके मुद्रण के संबंध में किसी समस्या का सामना करना पड़ा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

> **"**जी, हाँ। संस्थान के पास अनुवाद के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है और इसलिए संस्थान ने वार्षिक रिपोर्ट के अनुवाद के लिए किसी अन्य संस्थान (आईआईटी आईएसएम धनबाद) से एक व्यक्ति की पहचान की है। संस्थान भविष्य में लखनऊ में उपलब्ध अनुवादकों की सेवाओं का पता लगाने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त, **कोविड-19** महामारी के कारण लगाई गई सीमाओं के कारण वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित विवरणों के मुद्रण में देरी हुई।**"**

14. यह पूछे जाने पर कि क्या आईआईआईटी, लखनऊ के लेखाओं के त्वरित और समय पर संकलन की सुविधा के लिए लेखांकन की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

> **"**आईआईआईटी-लखनऊ में सभी वित्तीय रिकॉर्ड टैली ईआरपी के माध्यम से प्रबंधित और तैयार किए जा रहे हैं।**"**

15. एक विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/आईआईआईटी, लखनऊ में लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने और लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया :-

> **"**आईआईआईटी लखनऊ द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति **15.09.2020** को की गयी है। आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है और यह अनुमोदित होने के बाद प्रभावी होगा ।**"**

16. मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण जैसे कार्य पूरा करने के लिए उसके द्वारा मानक समय दर्शाते हुए निर्धारित समय-सीमा **अनुलग्नक -चार** में हैं।

17. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय में इस संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी करने और दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:**-**

> **"**जी, हां । शिक्षा मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही है। इसकी वित्तीय समिति और शासी निकाय द्वारा निगरानी भी की जाती है, जिनमें कुछ सदस्य मंत्रालय से हैं।**"**

18. यह पूछे जाने पर कि क्या भविष्य में, लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और आईआईआईटी,

लखनऊ दोनों द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है, शिक्षा मंत्रालय(उत्तर शिक्षा विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः

> "जी, हाँ। वित्तीय समिति(एफसी) एवं शासी निकाय (जीबी) की बैठकों का समय पर आयोजन से भविष्य में संसद में निर्धारित समय-सीमा के भीतर दस्तावेजों को रखने संबंधी भावी विलंब को रोका जा सकता है।"

19. समिति ने वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के लिए आईआईआईटी, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और इस मामले पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और आईआईआईटी, लखनऊ के प्रतिनिधियों का दिनांक 22.07.2021 को साक्ष्य लिया।

20. मंत्रालय के सचिव ने समिति के समक्ष बताया कि उन्होंने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रत्येक संस्थान/संगठन के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने हेतु अंतिम रूप देने की समेकित रूपरेखा देखने के लिए उनके द्वारा बनाए गए एक "पोर्टल" की शुरुआत की थी। उन्होंने समिति को बताया कि 190 संस्थानों में से 50 संस्थानों ने अपने लेखाओं को इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया हैं। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से चूक करने वाले संस्थानों को अनुस्मारक स्वचालित रूप से चले जाएंगे। अनुस्मारक की एक प्रति मंत्रालय के वित्त विभाग को भी प्राप्त होगी और नियमानुसार धनराशि को रोका जा सकता है। समिति ने सुझाव दिया कि पोर्टल में एक अलर्ट सिस्टम शामिल किया जा सकता है जो संस्थानों को दिए गए समय सारिणी के अनुसार अपना काम पूरा करने की समय- सीमा से एक सप्ताह पहले चेतावनी देगा। मंत्रालय के सचिव ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इन तथ्यों को अपने पोर्टल में शामिल करेंगे।

टिप्पणियां/सिफारिशें

21. समिति नोट करती है कि शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के क्रमशः **08.03.1976, 12.05.1976** और **22.12.1977** को सदन में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) के पैरा **1.16** और **3.5**, दूसरे प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) के पैरा **4.16** और **4.18** तथा छठी लोक सभा के दूसरे प्रतिवेदन के पैरा **1.12** एवं **2.6** से **3.8** में सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को रखने में विलंब के संबंध में अंतर्विष्ट सिफारिशों में निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया है। लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर पत्रों को सभा पटल पर रखने की अनिवार्यता का पालन नहीं किया गया है; जैसाकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), लखनऊ के वर्ष **2015-16** से **2018-19** तक के दस्तावेजों को **13** से **37** महीने के विलंब से सभा पटल पर रखा गया और वर्ष **2019-20** एवं **2020-2021** के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जाना अभी शेष है।

अतः समिति मंत्रालय/आईआईटी, लखनऊ से इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि वे आईआईटी, लखनऊ के वर्ष **2019-2020** एवं **2020-2021** के आवश्यक दस्तावेजों को आगे कोई और विलंब किए बिना सभा पटल पर रखें। समिति चाहती है कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए।

22. आईआईटी, लखनऊ के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों की जांच करते हुए समिति यह नोट कर निराश है कि विलंब लेखा परीक्षा प्राधिकारियों की नियुक्ति से लेकर मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में लिए गए समय तक के प्रत्येक चरण में हुआ है। समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय/संस्थान के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान इस बात से अवगत कराया कि दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में दरअसल उन्हें किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है और समिति को बताया कि उन्होंने इस संबंध में कुछ उपचारात्मक उपाय किए हैं। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि भविष्य में दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए उनकी ओर से एक समय-सीमा निर्धारित की गई है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय/ आईआईटी, लखनऊ के किए गए उपचारात्मक उपायों से आगे से संस्थान के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा।

23. समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय ने अपने नियंत्रण में आने वाले सभी संगठनों के लिए एक `पोर्टल` शुरू किया था जिसमें अपेक्षित दस्तावेजों को संसद में सभा पटल पर रखने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को पूरा करने की समय-सीमा का चित्रण किया गया है। समिति ने पोर्टल शुरू करने के लिए मंत्रालय के उठाए गए कदमों की सराहना की और उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस पोर्टल में एक चेतावनी प्रणाली शामिल की जाए जो संस्थानों को उन्हें दी गई समय-सीमा के अनुसार अपने कार्य को पूरा करने की अंतिम

तिथि से एक सप्ताह पहले चेतावनी देगी। मंत्रालय के सचिव ने समिति को आश्वस्त किया कि वे अपने पोर्टल में इन चीजों को शामिल करेंगे।

समिति का मानना है कि मंत्रालय के किए गए उपचारात्मक उपायों से न केवल आईआईटी, लखनऊ के दस्तावेजों को बल्कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संगठनों के भी दस्तावेजों को भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा ।

24. समिति इस बात के लिए भी मंत्रालय पर जोर देती है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आईआईटी, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका तो उन कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण 30 दिनों या जैसे ही सभा समवेत हो या जो भी बाद में हो, सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए कि क्यों नहीं अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि में सभा पटल पर रखा जा सका।

नई दिल्ली
22 मार्च,2022
1 चैत्र, 1944(शक)

(रितेश पाण्डेय)
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

परिशिष्ट - एक

भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान,लखनऊ के वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के वर्ष-वार आंवटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

योजना के अनुसार, प्रत्येक आईआईआईटी की पूंजीगत लागत 128.00 करोड़ रुपये होगी जिसका योगदान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 57.5: 35: 7.5) द्वारा क्रमशः 50: 35: 15 के अनुपात में किया जाना है। इसके अलावा केंद्र सरकार 10 करोड़ रुपये की आवर्ती व्यय के लिए सहायता प्रदान करेगी। आईआईटी, लखनऊ को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यू. पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 50:35:15 के अनुपात में वित्तीय योगदान मिला। एमओई की 64 करोड़ रुपये की देनदारी की तुलना में, ओएच-35 (पूंजी) के तहत 10 करोड़ रुपये, ओएच-31 (आवर्ती) के तहत 71.72 करोड़ रुपये, (ओएच-35 के तहत 61.94 करोड़ रुपये और ओएच-31 के तहत 9.78 करोड़ रुपये) की राशि संस्थान की मांगों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के आधार पर जारी किए गए हैं। पिछले पांच वर्षो में जारी की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष ओएच-31	ओएच-35	ओएच-31
2016-17	0	0.34
2017-18	30.00	3.00
2018-19	19.28	2.00
2019-20	7.22	1.00
2020-21	4	2.44
कुल	60.50	8.78

<u>परिशिष्ट दो</u>

भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान,लखनऊ के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	सभा पटल पर रखे जाने की नियत तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि	विलंब की सीमा
2015-16	31.12.2016	03.02.2020	37 माह
2016-17	31.12.2017	03.02.2020	25 माह
2017-18	31.12.2018	03.02.2020	13 माह
2018-19	31.12.2019	22.03.2021	13माह
2019-20	31.12.2020	सभा पटल पर नहीं रखा गया।	-
2020-21	31.12.2020	सभा पटल पर नहीं रखा गया।	-

परिशिष्ट - तीन

संस्थान के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने और प्रत्येक चरण में मंत्रालय की ओर से लिए गए समय के संबंध में सूचना

उप-प्रश्न	बिन्दुएं	वित्त वर्ष				
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
7 (एक**)**	लेखा परीक्षक प्राधिकारियों से संर्पक की तिथि	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	23.07.2018	30.09.2019	
	लेखांकन वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	------	------	3 माह 23 दिन		
7(दो**)**	सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	23.12.2016	19.07.2017	23.07.2018	09.10.2019	
	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षक प्राधिकारियों से संर्पक करने में लिया गया समय	-----	-----	3 माह 23 दिन		
7(तीन**)**	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि	21.12.2016	23.06.2017	28.06.2018	28.06.2019	26.02.2021
	लेखांकन वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	8 माह 21 दिन	2 माह 23दिन	2 माह 28 दिन	2 माह 28 दिन	10 माह 26 दिन
7(चार**)**	लेखा परीक्षकों को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	23.12.2016	19.07.2017	23.07.2018	09.10.2019	
	संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	8 माह 23 दिन	3 माह 19 दिन	3 माह 23 दिन	6 माह 9 दिन	
7(पांच**)**	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा करने की	26.12.2016 से 13.01.2017	18.09.2017 से 26.09.2017	31.07.2018 से 04.08.2018	25.11.2019 से 29.11.2019	

	तिथि और अवधि			और 03.10.2018 से 09.10.2018		
7(छह**)**	वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान/पूरा करने के बाद उठाये गए प्रश्नों की तिथि	26.12.2016 से 13.01.2017	18.09.2017 से 26.09.2017	31.07.2018 से 03.10.2018	26.11.2019 से 29.11.2019	
	लेखा परीक्षक प्राधिकारियों को वार्षिक लेखा पूरा करने के बाद/लेखा परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछने में लेखा परीक्षकों द्वारा लिया गया समय	19 दिन	9 दिन	11दिन	4 दिन	
7(सात**)**	लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने की तिथि	23.10.2017	09.10.2017	24.10.2018	26.11.2019 से 29.11.2019	
	प्रश्नों को समाधान करने में लिया गया समय	8 माह 10 दिन	12 दिन	21 दिन	0 दिन	
7(आठ**)**	लेखा परीक्षक प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की तिथि	27.11.2017	27.11.2017	13.12.2018	24.12.2019	
	वार्षिक लेखाओं के लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय	10 माह 14 दिन	2 माह 1 दिन	02 माह 10 दिन	26 दिन	
7(नौ**)**	संगठन द्वारा अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि	05.02.2018	05.02.2018	25.02.2019	05.03.2020	
	प्रारूप प्रतिवेदन जारी	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	

	करने के बाद लिया गया समय	9 दिन	9 दिन	11 दिन	9 दिन	
7(दस**)**	संगठन को अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखाओं को प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लिया गया समय	13 माह 13 दिन	6 माह 17 दिन	7 माह 2 दिन	4 माह 24 दिन	
7(ग्यारह**)**	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने की तिथि	10.12.2018 (वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए समेकित			10.01.2020	जीबी की अगली बैठक में रखा जाना
	वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय और	8 माह 10 दिन			9 माह 10 दिन	
	अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद लिया गया समय	लागू नहीं			लागू नहीं	
7(बारह**)**	सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों को अनुमोदन करने की तिथि	10.12.2018 (वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए समेकित)			15.01.2020	जीबी की अगली बैठक में रखा जाना
	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	8 माह 10 दिन			9 माह 15 दिन	
	अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	लागू नहीं			नहीं	
7(तेरह**)**	दस्तावेजों के अनुवाद और मुद्रण शुरू करने की तिथि	मार्च 2019- अनुवाद जून 2019 (मुद्रण)			03.03.2020 सितम्बर 2020 (मुद्रण)	लागू नहीं

	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा करने में लिया गया समय	15 days	6 माह (महामारी के कारण)	
7(चौदह**)**	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा करने के बाद सदन के सभा पटल पर रखे जाने के लिए मंत्रालय को दस्तावेज भेजने की तिथि	23.07.2019	20.10.2020	प्रतिवेदन के मुद्रण के बाद दस्तावेजों को शिक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जाएगी।
	संगठन द्वारा दस्तावेजों को मंत्रालय भेजने में लिया गया समय	23.07.2019	20.10.2020	
7(पन्द्रह**)**	सदन में दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तिथि	05.03.2020 (राज्य सभा) 03.02.2020 (लोक सभा)	17.03.2021 (रा.स.) 22.03.2021 (लो.स.)	
	संगठन से दस्तावेज प्राप्त करने के बाद लिया गया समय	--	--	

परिशिष्ट – चार

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और शिक्षा संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर (पश्चिम बंगाल) के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों के लिए अनुसूची

1.	संस्थान द्वारा खातों को अंतिम रूप देने की तिथि	31st May
2.	एजी को खाते जमा करने की तिथि	30th June
3.	एजी द्वारा खातों के निरीक्षण का प्रारंभ	31st July
4.	एजी द्वारा लेखाओं के निरीक्षण का समापन	15th August
5.	एजी (अंग्रेजी और हिंदी) से संस्थान में स्वीकृत खातों की प्राप्ति की वास्तविक तिथि	30th August
6.	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) द्वारा लेखा परीक्षित खातों / वार्षिक रिपोर्ट की स्वीकृति	30th September
7.	वार्षिक / लेखापरीक्षित रिपोर्टों के मुद्रण का समापन	31st October
8.	मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना	15th November
9.	संसद के दोनों सदनों में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे का रखा जाना	31st December*

* जीएफआर-2017 के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने हैं। अत: इन प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी से बचने के लिए इन प्रतिवेदनों को 31 दिसम्बर से पहले अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट – पांच

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 22 जुलाई, 2021 को 15:00 बजे से 16:30 बजे तक समिति कक्ष- "बी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. ए. चेल्ला कुमार
3. श्री पल्लब लोचन दास
4. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
5. श्री एस. रामालिंगम
6. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. श्रीमती मनजिंदर पब्बी - अवर सचिव

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1 श्री अमित खरे - सचिव, उच्चतर शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय

2 श्री राकेश रंजन - अपर सचिव, उच्चतर शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय

3 श्री प्रियांक चतुर्वेदी - उप सचिव, उच्चतर शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय

4 डॉ. अरूण मोहन शेरी - निदेशक, आईआईआईटी, लखनऊ

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. - 5 xx xx xx xx

xx xx xx xx

6. तत्पश्चात, समिति ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), लखनऊ के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर चर्चा आरंभ की।

7. तत्पश्चात, समिति ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), लखनऊ के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में मौखिक साक्ष्य लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), लखनऊ के प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाया।

8. सभापति ने समिति की बैठक में मंत्रालय और संस्थान के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बैठक आयोजित करने के प्रयोजन को स्पष्ट किया। सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में भी साक्षियों को बताया।

9. सर्वप्रथम, मंत्रालय के सचिव ने समिति को बताया कि माननीय सभापति की सलाह पर एक पोर्टल शुरू किया गया है जिससे उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले प्रत्येक संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने की सही स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि वर्ष 2019-2020 के उन 188 प्रतिवेदनों में से जिन्हें सभा पटल पर रखा जाना था, 24 प्रतिवेदन ही सभा पटल पर रखे गए। 80 प्रतिवेदन उनके पास हैं जिन्हें चालू सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा जाएगा। वर्ष 2018-19 के 151 प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जा चुके हैं, 23 प्रतिवेदन मंत्रालय के पास हैं और 09 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में हैं। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि वर्ष 2016-17 के 173 प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जा चुके हैं। समिति के निदेश पर मंत्रालय ने सभी केंद्रीय संस्थानों को परिपत्र भी जारी किए थे और उस प्रयोजनार्थ बनाई गई समय-सीमा का अनुसरण करने के लिए उन्हें निदेश दिए थे।

10. तत्पश्चात, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आईआईआईटी, लखनऊ की उत्पत्ति, उसके कार्य और उसकी उपलब्धियों के बारे में एक संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन किया।

11. तत्पश्चात, समिति ने संस्थान के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों के बारे में जानना चाहा। समिति के माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी शंकर उलाका के यह पूछे जाने पर कि क्या दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद कराना भी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का एक कारण है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि तकनीकी संस्थानों में इस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं क्योंकि शिक्षण, अधिगम से लेकर प्रत्येक कार्य अंग्रेजी में होता है। तथापि, उन्होंने समिति को बताया कि वे इस कार्य हेतु एजेंसियों का एक पैनल बनाकर व्यवस्था कर रहे हैं।

12. माननीय सदस्य, श्री पल्लब लोचन दास ने प्रत्येक चरण में अर्थात वार्षिक लेखाओं के संकलन, वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा प्राधिकरणों से संपर्क करने, लेखापरीक्षा प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु समय लिए जाने और इन वर्षों के अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में होने वाले विलंब के कारणों के बारे में जानना चाहा। सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय/संस्थान के प्रतिनिधि ने दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में आने वाली वास्तविक समस्याओं के बारे में बताया और समिति को इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपायों से भी अवगत कराया। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि भविष्य में दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा एक समय-सारणी तैयार की गई है।

13. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने मंत्रालय के सचिव के साथ उनके द्वारा बनाए गए पोर्टल पर विस्तृत चर्चा की जिससे कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले प्रत्येक संस्थान/संगठन के दस्तावेजों के संबंध में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने से लेकर उन्हें सभा पटल पर रखने तक की समग्र प्रक्रिया को जाना जा सके। उन्होंने समिति को बताया कि 190 संस्थानों में 50 संस्थानों ने अपने लेखाओं को इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि इस पोर्टल से चूककर्ता संस्थानों को स्वतः ही अनुस्मारक चले जाएंगे। अनुस्मारक की एक प्रति मंत्रालय के वित्त विभाग के पास भी जाएगी और निधियों को नियमानुसार रोका जा सकेगा।

14. मंत्रालय के सचिव ने समिति के समक्ष बताया कि इस पोर्टल की मदद से वे इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने वाली संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। समिति के माननीय सभापति और सदस्यों ने पोर्टल शुरू करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और यह सुझाव दिया कि इस पोर्टल में चेतावनी प्रणाली (एलर्ट

सिस्टम) को शामिल किया जाए जो संस्थाओं को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अपना कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले ही सतर्क कर देगा। मंत्रालय के सचिव ने समिति को आश्वसन दिया कि वे अपने पोर्टल में इन तथ्यों को शामिल करेंगे।

15. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने विषय की जांच के संबंध में उपयोगी चर्चा हेतु मंत्रालय और संस्थान के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।

(समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की प्रति संलग्न है और एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।)

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट -छह

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)

समिति की 22 मार्च 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, मंगलवार, 22 मार्च 2022 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष ' ख', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. चौधरी अली केसर महबूब
5. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
6. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुन्दर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - सहायक निदेशक

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

X X X X X

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित (चार) प्रारूप **प्रतिवेदनों** को विचार करने के लिए लिया :-

(एक)भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ,के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलम्ब;

(दो) X X X X X;

(तीन) X X X X X;

(चार) X X X X X

4. विचार विमर्श के पश्चात, समिति द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन और की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकर कर लिया गया है और समिति द्वारा सभापति को, प्रतिवेदन / की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों (वर्णनात्मक भाग) के तथ्यात्मक सत्यापन के अनुसार इन प्रतिवेदनों/की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को तैयार करने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. समिति ने इन प्रतिवेदनों को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

X X X X X

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।